न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 32/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 हीरा लाल पुत्र संग्राम लाल निवासी 27, धडी बेरा, तहसील डेगाना थांवला नागौर फर्मः– श्री राना किराणा स्टोर, एसबीआई एटीएम के सामने, अजमेर रोड, थांवला नागौर 2 पीयुष अग्रवाल मैसर्स– तापडिया इण्डस्ट्रीयल, 125 हनुमान नगर, जैसल्या, रोड नम्बर 7 वी.के.आई. जयपुर।

आदेश दिनांक :19.02.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 14-02-23 को मैसर्स श्री राना किराणा स्टोर, एसबीआई एटीएम के सामने, अजमेर रोड, थांवला नागौर पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (तापडिया ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2113 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/97/एक्ट/2023/124 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (तापडिया ब्राण्ड) Food Containing Extraneous Matter होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण हीरा लाल पुत्र संग्राम लाल निवासी 27, धडी बेरा, तहसील डेगाना थांवला नागौर तथा पीयुष अग्रवाल ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 16-10-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 15.02.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से धनिया पाउडर (तापडिया ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जो जांच में Food Containing Extraneous Matter होना पाया गया, प्रार्थी निर्माता द्वारा एक ही चक्की में विभिन्न प्रकार के मसालों की पिसाई का कार्य किया जाता है। जिसमें उक्त खाद्य पदार्थ की पिसाई भी की गई थी। उपरोक्त खाद्य पदार्थ की पिसाई से पहले हल्दी पाउडर की पिसाई का कार्य किया गया था। जिसमें तकनीकी कारण से चक्की पाट में हल्दी लैस मात्र रह जाने के कारण धनिया की पिसाई के साथ हल्दी पाउडर का अंश मात्र धनिया पाउडर के साथ मिल जाना सम्भावित हो सकता है जिस प्रार्थी ने जान बूझकर ऐसा कृत्य नहीं किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक क्रमांक एलएस/97/एक्ट/2023/124 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (तापडिया ब्राण्ड) का नमूना Food Containing Extraneous Matter होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 हीरा लाल पुत्र संग्राम लाल निवासी 27, धडी बेरा, तहसील डेगाना थांवला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 2 पीयुष अग्रवाल पर संयुक्त रूप से पर रूपये 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश आज दिनांक 19.02.24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)